रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 208] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 23, 1975/श्रावण 1, 1897
No. 208] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 23, 1975/SRAVANA 1, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July 1975

G.S.R. 424(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

C.O. 101

THE CONSTITUTION (APPLICATION TO JAMMU AND KASHMIR) SECOND AMENDMENT ORDER, 1975

In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 370 of the Constitution, the President, with the concurrence of the Government of the State of Jammu and Kashmir, is pleased to make the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Second Amendment Order, 1975.

(2) It shall come into force at once.

2. In paragraph 2 of the Constitution (Application to Jammu and Kashmir) Order, 1954, in sub-paragraph (15) (relating to Part XX), the existing modification relating to clause (2) of article 368 shall be numbered as clause (a) of that sub-paragraph and after that clause as so numbered, the following clause shall be inserted, namely :—

"(b) After clause (3) of article 368, the following clause shall be added, namely :—

'(4) No law made by the Legislature of the State of Jammu and Kashmir seeking to make any change in or in the effect of any provision of the Constitution of Jammu and Kashmir relating to—

(a) appointment, powers, functions, duties, emoluments, allowances, privileges or immunities of the Governor; or

(b) superintendence, direction and control of elections by the Election Commission of India, eligibility for inclusion in the electoral rolls without discrimination, adult suffrage and composition of the Legislative Council, being matters specified in sections 138, 139, 140 and 50 of the Constitution of Jammu and Kashmir,

shall have any effect unless such law has, after having been reserved for the consideration of the President, received his assent.'".

FAKHRUDDIN ALI AHMED,
President.

[No. F. 19(5)/75-L.I.]

K. K. SUNDARAM, Secy.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 1975

सा० का० नि० 424 (अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

सी० ओ० 101

संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1975

संविधान के अनुच्छेद 370 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, जम्मू-कश्मीर राज्य की सरकार की सहमति से, निम्नलिखित आदेश करते हैं अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) द्वितीय संशोधन आदेश, 1975 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. संविधान (जम्मू-कश्मीर को लागू होना) आदेश, 1954 के पैरा 2 में, (भाग 20 से सम्बन्धित) उप-पैरा (15) में, अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) से सम्बन्धित विद्यमान उपान्तरण को उस उप-पैरा के खण्ड (क) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा, और इस प्रकार संख्याकित उस खण्ड के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) अनुच्छेद 368 के खण्ड (3) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाएगा, अर्थात:—

'(4) जम्मू-कश्मीर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि का जो,—

(क) राज्यपाल की नियुक्ति, शक्तियों, कृत्यों, कर्तव्यों, उपलब्धियों, भत्तों, विशेषाधिकारों या उन्मुक्तियों के सम्बन्ध में ; अथवा

(ख) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण, बिना भेदभाव के निर्वाचक सूची में सम्मिलित करने हेतु पात्रता, वयस्क मताधिकार तथा विधान परिषद् के गठन के सम्बन्ध में, जो कि जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 138, 139, 140 और 50 में विनिर्दिष्ट विषय हैं ,

जम्मू-कश्मीर के संविधान में या उसके किसी उपबन्ध के प्रभाव में कोई परिवर्तन करने के लिए आशयित है, तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक कि उस विधि पर, उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ रोके जाने के पश्चात्, उनकी अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती ।' ।"

फखरुद्दीन अली अहमद,
राष्ट्रपति ।

[सं० एफ० 19(5)/75-L.I.]
के० के० सुन्दरम्, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975